

**महत्वपूर्ण एवं खास**

**ए.टी.एम. क्लोनिंग कर रुपये निकाले जाने की शिकायत**



**न्याय साक्षी/रायगढ़।** श्रीमती सरोज देवी उम्र 44 वर्ष मूल निवास ग्राम सरैया थाना सिकरारा जिला जौनपुर 30प्र0 हाल मुकाम न्यु जिंदलनगर पतरापाली द्वारा दिनांक 22.11.19 को थाना कोतारोड़ में इसके ए.टी.एम. की क्लोनिंग कर अज्ञात आरोपी द्वारा 13,000 रुपये निकाल लिये जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। रिपोर्टकर्ता श्रीमती सरोज देवी ने बताया कि दिनांक 13.11.2019 को इसका छोटा लड़का इसके एटीएम से 4,000 रुपये किरोडीमलनगर आजाद चौक के स्टेट बैंक एटीएम से निकाला था निकालने के कुछ समय बाद इसके मोबाइल पर इसके खाते से क्रमशः 10,000 और 3000 रुपये निकाले जाने का मैसेज आया। तब स्टेट बैंक जाकर स्टेटमेंट निकाली किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा खाता से 13000 रुपये निकाला गया था। रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 330/1420 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

**बरमकेला, छाल पुलिस कच्ची महुआ पर कार्यवाही**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** थाना बरमकेला पुलिस द्वारा दिनांक 23/11/19 को मोटर सायकल होण्डा लिबो क्रमांक सीजी 13 एबी 4920 में ग्राम कलगाटार की ओर से अवैध शराब बिक्री के लिए लेकर आते हुए दो लड़कों को ग्राम बिलाईगढ़ में मुखबिर सूचना पर पकड़े। मोटर सायकल का चालक गुरुदेव चौहान पिता शिवप्रसाद चौहान उम्र 29 वर्ष ग्राम पंचधार थाना सरिया तथा पिछे थैला पकड़े व्यक्ति ने अपना नाम जलंधर चौहान पिता सुरूलाल चौहान उम्र 45 वर्ष ग्राम तौसर बताया जिसके पास से 10 लिटर कच्ची महुआ शराब पकड़ा गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1)(क), 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही किया गया है।

वहीं दूसरे मामले में थाना छाल के स्टॉफ द्वारा दिनांक 22.11.19 को ग्राम चन्द्रशेखरपुर ऐडू में सेतराम चौहान पिता नत्थराम चौहान उम्र 47 वर्ष साकिन चन्द्रशेखरपुर ऐडू थाना छाल को घर पर अवैध बिक्री के लिये रखे हुये 06 लिटर कच्ची महुआ शराब के साथ पकड़े। आरोपी के विरुद्ध थाना छाल में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही किया गया है।

**आईटीआई खरसिया में व्हेकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स कोर्स के लिए 28 नवम्बर तक आवेदन आमंत्रित**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, खरसिया में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत (व्हेकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स) कोर्स व्यवसाय डोमेस्टिक डाटा एन्ट्री आपरेटर कुल अवधि 400 घंटे एवं विद्युतकार सॉल्यूशन कुल अवधि 350 घंटे का प्रशिक्षण पूर्णतः नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को 25 से 28 नवम्बर तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खरसिया में आवेदन जमा कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी को 10 वीं बोर्ड उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जिसमें निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की प्रति, बीपीएल राशन कार्ड की छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज की दो फोटो लगाना आवश्यक है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खरसिया में संपर्क कर सकते हैं।

**मितानियों के लिए आयोजित किया गया**

**सम्मान समारोह**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** विकासखण्ड रायगढ़ के लोईंग सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा विकासखण्ड स्तरीय ग्राम-भगोरा में मितानियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले मितानियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मितानि कार्यक्रम के डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर प्रदीप डनसेना, लोईंग के बीएमओ डॉ.जी.एस.पैकरा, सरपंच, सचिव और बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे।



**स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स का महिला सेल की टीम ने कराया थानों का भ्रमण**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** भारत सरकार की स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत जिले के पांच स्कूलों में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना चलायी जा रही है। स्टूडेंट पुलिस कैडेट (एसपीसी) का मकसद विद्यार्थियों को बुनियादी कानून और पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देना है। इसके साथ ही छात्रों को स्कूल और उनकी कक्षाओं के बाहर उनका सर्वांगीण विकास करना है जिससे वे आदर्श भारतीय नागरिक बने, मूल्यों और नैतिकता को सीख सकें। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष कुमार सिंह द्वारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी

**» स्टूडेंट्स ने जाना उनके लिये बनाये गये कानून और पुलिस के कार्यों को**



एडिशनल एसपी आईयूसीएडब्ल्यू डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भैया को दी गई है। एसपी डॉ. भैया द्वारा महिला सेल एवं रक्षित केन्द्र स्टाफ के साथ चयनित स्कूलों में महीने में एक दिन इनडोर और दो दिन आउटडोर की गतिविधियां



संचालित की जाती है। दिनांक 23.11.2019 को एडिशनल एसपी आईयूसीएडब्ल्यू डॉ राजेन्द्र प्रसाद भैया, पुलिस महिला रक्षा टीम प्रभारी निरीक्षक संतोषी ग्रेस, महिला प्रधान आरक्षक श्रीमती मंजू मिश्रा, महिला आरक्षक

जगदेव हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे पुलिस चौकी जूटमिल, केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को थाना चक्रधरनगर तथा नवोदय विद्यालय के 44-44 बच्चों को थाना भूपदेवपुर लाया गया था। थाना प्रभारियों ने छात्र-छात्राओं को बुनियादी कानून की जानकारी के साथ समाज में पुलिस की गतिविधियों एवं थानों में किये जाने वाले कार्यों के विषय में बताये। छात्र-छात्राओं को स्कूल से लाने ले जाने एवं स्वल्पहार की व्यवस्था कराई गई थी। पुलिस मुख्यालय द्वारा इस योजना अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए चयनित स्कूल को जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्रथम किस्त 50-50 हजार रुपए दे दी गई है। इन स्कूलों के लिए द्वितीय किस्त रु.1,35,000 प्रति स्कूल का आवंटन प्राप्त हो चुका है जिसे शीघ्र इन स्कूलों को प्रदाय किया जावेगा। बच्चों के व्यक्ति विकास के लिये इन स्कूलों में पीटी, परेड, योगा, नर्से से दूर रहना, शिक्षा का महत्व, समाज में पुलिस का महत्व आदि विषयों पर जानकारी दी जा रही है। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना को पुलिस और स्कूली छात्रों के बीच जनभागीदारी में सेतु का कार्य कर रही है।

**गृह निर्माण मंडल द्वारा आवास मेला आज**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रदेश में सभी वर्गों के लिए सुव्यवस्थित आवासीय कालोनी का निर्माण कर लोगों के आवास की समस्या को दूर करने हेतु आवासीय भवनों का निर्माण किया गया है। उक्त निर्मित भवनों को सस्ते दरों पर विक्रय हेतु शासन द्वारा विक्रय मूल्य में कटौती कर अलग-अलग भवनों में 15-20 प्रतिशत तक की कमी किया गया है। साथ ही जो हितग्राहियों द्वारा पूर्व में स्ववित्तीय योजना अंतर्गत भवनों का पंजीयन



कराया गया है एवं निर्धारित समयवधि में राशि जमा नहीं किया गया है ऐसे भवनों के विलंब अवधि के ब्याज में छूट दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा 24 नवम्बर को पूर्वाह्न 11 बजे शाम 4 बजे तक रायगढ़ के मुख्य स्टेडियम के पास बोर्डरदादर स्थित मंडल कार्यालय के सामने आवास मेले का आयोजन किया गया है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने कल एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें सभी सामाजिक संस्थानों व आम जनों से डेगू मुक्त रायगढ़ के लिए सहयोग की अपील की गई थी। आज जिला कलेक्टर की अपील के बाद शहर के कोतरा रोड स्थित निजी स्कूल प्रबंधन ने एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली को कलेक्टर यशवंत कुमार ने शुभकामनाएं देकर खाना किया और स्कूल प्रबंधन के इस कार्य की सराहना की।

**नुककड़-नाटक के माध्यम से कर रहे आम जनता को डेगू के प्रति जागरूक**

**» चौक-चौराहों में डेगू से बचाव के उपायों का किया जा रहा प्रचार-प्रसार**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** कलेक्टर यशवंत कुमार द्वारा डेगू के रोकथाम के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसार विभिन्न कला जत्था नुकड़-नाटक के माध्यम से नगर के विभिन्न बाड़ों में घूम-घूमकर आम जनता को डेगू के प्रति जागरूक कर रहे हैं। नगर निगम की ओर से नाट्य मंडली के द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि शहर के हर घर डेगू के प्रति सतर्क एवं सजग रहे तथा डेगू के



रोकथाम के लिए हर संभव उपाय करें। नाट्य मंडली के कलाकार गायन एवं नाट्य के माध्यम से चौक-चौराहों में डेगू से बचाव के लिए उपायों का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।

**जिला प्रशासन के आह्वान पर डेगू मुक्त रायगढ़ के लिए बच्चों ने निकाली रैली**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** जिला प्रशासन के आह्वान पर डेगू जागरूकता के लिए आमजन का सहयोग मिलना शुरू हो गया है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने कल एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें सभी सामाजिक संस्थानों व आम जनों से डेगू मुक्त रायगढ़ के लिए सहयोग की अपील की गई थी। आज जिला कलेक्टर की अपील के बाद शहर के कोतरा रोड स्थित निजी स्कूल प्रबंधन ने एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली को कलेक्टर यशवंत कुमार ने शुभकामनाएं देकर खाना किया और स्कूल प्रबंधन के इस कार्य की सराहना की।



टिवंकल स्टार स्कूल के बच्चे कलेक्ट्रेट परिसर से चक्रधरनगर थाना होते हुए न्यू ऑडिटोरियम पहुंचे जहां से पंजरी प्लाट पहुंचे। टिवंकल स्टार स्कूल के बच्चों ने पंजरी प्लाट क्षेत्र के प्रत्येक घर में जाकर डेगू की

जनजागरूकता अभियान रैली के आयोजन में रोटर क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर एवं लायनेस क्लब मिडटाउन रायगढ़ का सहयोग रहा। इस जन जागरूकता रैली में सहायक कलेक्टर सबित मिश्रा, नगर निगम आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, सी ए म ए च आ डी.एस.एन.केशरी व शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारी गण उपस्थित रहे। साथ ही जिले वासियों से अपील की कि इस महाअभियान में सभी शामिल होकर जिले को डेगू मुक्त बनाने की जिला प्रशासन की मुहिम में अपनी भागीदारी निभाएं।

**लोड सामान की अफरा-तफरी के दो मामलों में ट्रक चालकों पर खयानत का मामला दर्ज**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** रावसंगंज सोनभद्र उत्तर प्रदेश के आराध्या इंटरप्राइजेज द्वारा थाना पूंजीपथरा स्थित गायत्री रोलिंग मिल से 32.370एमटी छड कीमत 11,61,505 रुपये का तथा गेरवानी के एन आर इस्पात से 31.980 एमटी छड कीमत 11,59,500 रुपये का खरीदी कर एमपी ट्रक ब्रोकर(ट्रांसपोर्टर) रायगढ़ के जरिये ट्रक ओडी16 डी 7123 तथा ट्रक ओडी 16 डी 5541 में लेने भेजे थे। ट्रक ओडी 16 डी 7123 का मालिक मोहम्मद मुजाहिद तथा ट्रक ओडी 16 डी 5541 का मालिक मोहम्मद कैसर आजमी उडीसा सुन्दरगढ़ के रहने वाले हैं। दिनांक 20.11.19 की रात में ट्रक

पता चला कि क आर्डर के अनुसार इलाहाबाद व प्रतापगढ़ नहीं जाकर बिहार के गया जिला में डोभी बाईर के पहुंचे गये हैं। दोनों ट्रक के चालक द्वारा छड कुल 64.350 एमटी कुल मूल्य 23,21,005 रुपये को चोरी के उद्देश्य से अमानत में खयानत किया गया, रिपोर्ट पर ट्रक चालकों के विरुद्ध थाना पूंजीपथरा में अप.क्र. 225/19 धारा 407,34 भादवि दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे मामले में ट्रांसपोर्टर शैलेश कुमार शुक्ला पिता श्री छोटेलाल शुक्ला उम्र 36 वर्ष कोतरारोड सवित्री नगर रायगढ़ द्वारा दिनांक 22.11.19 को थाना पूंजीपथरा में ट्रक ड्रायवर द्वारा इसके गेरवानी रायगढ़ आकर पता लगाया तो

अफरा-तफरी करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। रिपोर्टकर्ता ट्रांसपोर्टर ने बताया कि दिनांक 07.11.19 को आयरसर प्रो ट्रक (1110) क्रमांक सीजी 10 एबी 8413 में भिलाई से सी.आई. कपलिंग 60 नग एम.एस.पी. लिमिटेड का माल लोड कराया था। इसी ट्रक में रायपुर से केमीकल 35 ड्रम गेरवानी पुंजीपथरा के रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड में भेजने के लिये लोड करना था। चालक धमेन्द्र कुमार यादव पिता बालक बिहारी यादव ग्राम परमानपुर थाना कोरान सराय पोस्ट खण्डरीचा जिला बक्सर कनझौरा बिहार माल लेकर निकला था। ड्रायवर द्वारा दिनांक 10.11.19 को पूंजीपथरा के ग्राम गेरवानी में रायगढ़ इस्पात

**पंजरी प्लाट में सामान्य परिवारों को वितरण किया जा रहा है राशन कार्ड**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** राज्य शासन के दिशा-निर्देश में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिवारों को भी राशन कार्ड का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में पंजरी प्लाट के शासकीय प्राथमिक स्कूल में प्रभारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनिता नायक एवं काजल विश्वास ने सामान्य परिवारों को राशन कार्ड का वितरण किया। राशन कार्ड लेने आने वालों में नवीन, किरण, आयशा, गीता, अशोक कुमार गुप्ता शामिल हैं। क्षेत्र के कुल 514 सामान्य राशन कार्ड में अब तक वर्तमान में 256 कार्ड का वितरण हो गया है।



उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिवारों के राशन कार्डधारियों को 10 रुपए प्रति किलो की दर से एक सदस्य होने पर 10 किलो और दो सदस्य होने पर 20 किलो, तीन या तीन से अधिक सदस्य होने पर 35 किलो चावल मिलेगा।